न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 02/2020

प्रार्थीः—

पुष्पादेवी पत्नि स्व. मूलसिंहजी, उम्र 70 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी गीताजंली स्कूल के पास, इन्द्रा कॉलोनी विस्तार, पाली तहसील व जिला पाली (राज.) हाल कूड़ी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज.)

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. किशोर पुत्र मूलसिंहजी, उम्र 55 वर्ष, निवासी गीतांजली स्कूल के पास, इन्द्रा कॉलोनी विस्तार, पाली तहसील व जिला पांली (राज.)
2. दलपतसिंह पुत्र मूलसिंहजी, उम्र 52 वर्ष, जाति रावणा राजपूत, निवासी— कुड़ी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज.)
3. चन्दुसिंह पुत्र श्री मूलसिंहजी, उम्र 44 वर्ष, जाति रावणाराजपूत निवासी—गीतांजली स्कूल के पास, इन्द्रा कॉलोनी विस्तार, पाली तहसील व जिला पाली (राज.) मार्फत—देवजी की चाय की होटल, पी.सी.सी.बी. बैंक के सामने, कॉलेज रोड़, पाली।

उपस्थितिः—

1. श्रीमती गेरी, प्रार्थीया।
2. श्री किशोरसिंह अप्रार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

—:निर्णयः— **दिनांक** 27/01/2020

1. प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति का देहान्त आज से 24 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रार्थीया के तीन जायन्दा अप्रार्थीगण पुत्र है। तीनो अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण पोषण करने का विश्वास दिलाया तो प्रार्थीया ने अपने नाम से बने मकान 141, इन्द्रा कॉलोनी, पाली का पट्टा प्रार्थीया के नाम से बना हुआ था को बेचकर सभी को प्रार्थी संख्या 1 व 2 को 3,50,000/— रूपये दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 के हिस्से की राशि 3,25,000/— रूपये भी किशोरसिंह, को दिये और अप्रार्थी किशोरसिंह ने कहा कि मेरे व चन्दुसिंह के नाम का प्लोट खरीदकर मकान बनाउंगा। प्रार्थीया का उक्त मकान बिक जाने पर प्रार्थीया घर से बेघर हो गई तथा अप्रार्थी किशोरसिंह ने स्वयं की व चन्दुसिंह के हिस्से की राशि से 2 प्लोट खरीद लिये, एक प्लोट की रजिस्ट्री अपनी पत्नि के नाम से व दुसरे प्लोट की रजिस्ट्री अपने इमान से करवा दी व दोनो प्लोट पर बैंक से लोने लेकर एक प्लोट पर पत्नि के नाम से मकान बना लिया। प्रार्थीया द्वारा इसका एतराज करने पर दिनांक 01.01.2013 को एक इकरारनामा लिखकर दिया कि मुझे दुसरे प्लोट मैं 6 महा मे खाली करके आपको दे दूंगा। जिस प्लोट के आप मालिक हो जो इकरारनामा 100/— रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा है जिसकी फोटो प्रति संलग्न पेश है। असल प्रति किशोरसिंह के पास है। लेकिन अप्रार्थी किशोरसिंह ने ऋण नहीं चुकाया ओर ऋण नहीं चुकाने के कारण पी.सी.सी.बी. बैंक मे असल कागजात पड़े है। जो कागजात आज दिन तक प्रार्थीया व चन्दुसिंह के नाम से नहीं करवाये है। प्रार्थीया द्वारा विराध करने पर 2 वर्ष पूर्व प्रार्थीया व उसके पुत्र चन्दुसिंह द्वारा विरोध करने पर 2 वर्ष पूर्व प्रार्थीया व उसके पुत्र चन्दुसिंह को अप्रार्थी किशोरसिंह ने घर से बेघर कर दिया। समाज लोगो द्वारा व भाईयो द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी किशोरसिंह ने एक इकरारनामा दिनांक 14/04/2015 को लिखकर दिया और उसमें लिखा कि

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

रहन मुक्त होने पर आगामी 6 माह यानि 14/10/2015 तक रहन मुक्त कर उक्त प्लोट चन्दुसिंह के नाम करवा दुंगा। जिसमे प्रार्थीया साथ रहेगी। इस प्रकार धोखाधड़ी कर दोनो प्लोट पर अप्रार्थी संख्या एक काबिज हो गया। अप्रार्थी संख्या एक व अन्य दोनो अप्रार्थीगण को प्रार्थीया का मकान बेचकर राशि दिये जाने के बाद आज दिन तक प्रार्थीया के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की गई। प्रार्थीया के पति पुलिस मे हैड कांस्टेबल थे। जिनकी मृत्यु होने के बाद मृत आश्रित नोकरी श्री किशोरसिंह ने अपनी मां को विश्वास मे लेकर कि मैं आपके खाने पीने व चिकित्सा की पूरी व्यवस्था मे लेकर कि मैं आपके खाने पीने व चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करूंगा। इस विश्वास मे आकर प्रार्थीया ने मृत आश्रित नौकरी के लिये प्रार्थीया के पति के स्थान पर अप्रार्थी किशोरसिंह को नोकरी दिलवा दी। अप्रार्थी एक किशोरसिंह को आई.टी. आई. सोजत में चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी की नोकरी दिलवा दी फिर भी अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीया के भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरीं नहीं की है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद उसके पति की नौकरी का जो पैसा मिला व पेन्शन के रूपये मिलाकर डेढ़ लाख रूपये अप्रार्थी किशोरसिंह को दिया जो रूपया भी आज दिन तक वापस नहीं दिया है। प्रार्थीया हार्ट की पेसेन्ट है जिसका 2 वर्ष से ईलात चल रहा है जिसका खर्चा अप्रार्थी संख्या दो दलपतसिंह उठा रहा है। अब दलपतसिंह की पुत्री का विवाह करने के कारण दलपतसिंह ने भी खर्चा उठाने मे असमर्थता जताई है। प्रार्थीया के ईलात मे 7–8 हजार रूपये मासिक खर्च आता है। व ईलात हेतु जोधपुर जाना पड़ता है जिससे प्रतिमाह 10 हजार रूपये से अधिक खर्चा होता है। जिससे प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु 15 हजार रूपये मासिक की आवश्यकता है तथा प्रार्थीया के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से प्रतिमा 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीया के पैसो से खरीदे गये दोनो प्लोट अप्रार्थी एक के कब्जे से मुक्त करवाकर प्रार्थीया को दिलाये।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये।

3. अप्रार्थी किशोर ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार है। सभी भाईयो को अपने अपने हिस्से के पैसे अलग अलग दिये थे जिन्होने अपने अपने स्तर पर खर्च किये। प्रार्थना पत्र मे वर्णित अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीया व चन्दुसिंह के नाम का प्लोट खरीदकर मकान बनाने का कथन गलत है। प्रार्थीया अपने पुत्र दलपतसिंह अप्रार्थी संख्या 2 जो फौजदारी प्रकरणो ने न्यायिक अभिरक्षा मे था। जिसकी जमानत उच्च न्यायालय जोधपुर से करवाई जानी थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 चन्दु बिमार रहता था व दुर्घटनाग्रस्त होने उन दोनो के रूपयो की आवश्यकता होने के कारण माता को बार बार मना करने के बावजुद मकान अपने नाम होने के कारण बेच दिया ओर दलपतसिंह की उच्च न्यायालय से जमानत करवाई व चन्दु का ईलाज करवाया उसके बाद मैं सर्विसमेन होने से मुझ पर नाजायज रूप से दबाव डालने लगे की तुम्हारे तो दो मकान हो गये एक मकान हमे देना पड़गा जिससे मैने पारिवारिक रिश्तेदारी होने व माता एवं भाई होने के नाते उक्त इकरारनामा लिखकर जरूर दिया था। लेकिन उक्त मकान पर भी मेरे सर्विस फण्ड पर ऋण लिया हुआ है। जो आज भी बरकरार है। उक्त इकरारनामे के पश्चात हमरारा आपस मे समझौता हो गया था ओर वह मकान मेरे ही रखा तथा उक्त मकान मे भी मेरा भाई चन्दु का परिवार ही निवास कर रहा है। उक्त मकानो पर किसी भी रूप से प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का हक हकुक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीया स्वयं अपनी मनमर्जी से जहा इच्छा होती है उस पुत्र के पास रहती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पिता पुलिस विभाग मे सरकारी कर्मचारी होने व दौराने ड्यिुटी देहान्त होने से उनके पश्चात पेशन प्रार्थीया को मासिक करीब 10 हजार रूपये रही है वह राशि प्रार्थीया अपने भरण पोषण व ईलाज मे खर्च कर रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर मुझसे भी रूपयें ले रही है। बैंक द्वारा जारी पेंशन स्टेटमेंट की फोटो प्रति साथ सलंग्न है। मृतक कर्मचारी की जगह एक उत्तराधिकारी को नौकरी लेने का कानूनी प्रावधान होने से मुझे उक्त नौकरी सबकी सहमति से उपलब्ध करवाई क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 दलपतसिंह का अपराधिक रिकोर्ड होने से वह नौकरी नही कर सकता था व चन्दु उस वक्त

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

नाबालिग था तथा उस वक्त जो रोकड़ राशि मिली वह भी माता ने रखी थी व समझौता हुआ था कि रोकड़ राशि मैं स्वयं रखुंगी व मेरे दोनो पुत्रो चन्दू व दलपत के लिये होगी तुम बड़े हो तुम्हे तो मात्र नौकरी दी जायेगी ओर मेरा समस्त खर्चा मेरी पेंशन व चन्दु व दलपत द्वारा उठाया जायेगा आपकी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे न तो पेंशन के रूपये दिये न ही रोकड़ रूपये आज दिन तक दिये गये मात्र दवाब डालने के लिये व मेरी नौकरी होने से उक्त गलत तथ्य वर्णित किये है। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया का कोई खर्चा नही उठा रहा है उल्टा प्रार्थीया के ईलात मे किसी प्रकार की उक्त वर्णित पेंशन राशि खर्च नही हो रही है उक्त पेंशन राशि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के परिवार के भरण पोषण मे खर्च कर रही है व जो पैसा ईलाज मे खर्च होता है वह भी पेंशन मेडिकल डायरी से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः जवाब पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खारीज फरमावें।

4. उभयपक्ष को सुना गया।

5. प्रार्थीया ने बहस के द्वौरान निवेदन किया की प्रार्थीया के पति का देहान्त आज से 24 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रार्थीया के तीन जायन्दा अप्रार्थीगण पुत्र है। तीनो अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण पोषण करने का विश्वास दिलाया तो प्रार्थीया ने अपने नाम से बने मकान 141, इन्द्रा कॉलोनी, पाली का पट्टा प्रार्थीया के नाम से बना हुआ था को बेचकर सभी को प्रार्थी संख्या 1 व 2 को 3,50,000/– रूपये दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 के हिस्से की राशि 3,25,000/– रूपये भी किशोरसिंह, को दिये और अप्रार्थी किशोरसिंह ने कहा कि मेरे व चन्दुसिंह के नाम का प्लोट खरीदकर मकान बनाउंगा। प्रार्थीया का उक्त मकान बिक जाने पर प्रार्थीया घर से बेघर हो गई तथा अप्रार्थी किशोरसिंह ने स्वयं की व चन्दुसिंह के हिस्से की राशि से 2 प्लोट खरीद लिये, एक प्लोट की रजिस्ट्री अपनी पत्नि के नाम से व दुसरे प्लोट की रजिस्ट्री अपने इमान से करवा दी व दोनो प्लोट पर बैंक से लोने लेकर एक प्लोट पर पत्नि के नाम से मकान बना लिया। प्रार्थीया द्वारा इसका एतराज करने पर दिनांक 01.01.2013 को एक इकरारनामा लिखकर दिया कि मुझे दुसरे प्लोट मैं 6 महा मे खाली करके आपको दे दूंगा। जिस प्लोट के आप मालिक हो जो इकरारनामा 100/– रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा है जिसकी फोटो प्रति संलग्न पेश है। असल प्रति किशोरसिंह के पास है। लेकिन अप्रार्थी किशोरसिंह ने ऋण नहीं चुकाया ओर ऋण नहीं चुकाने के कारण पी.सी.सी.बी. बैंक मे असल कागजात पड़े है। जो कागजात आज दिन तक प्रार्थीया व चन्दुसिंह के नाम से नहीं करवाये है। प्रार्थीया द्वारा विराध करने पर 2 वर्ष पूर्व प्रार्थीया व उसके पुत्र चन्दुसिंह द्वारा विरोध करने पर 2 वर्ष पूर्व प्रार्थीया व उसके पुत्र चन्दुसिंह को अप्रार्थी किशोरसिंह ने घर से बेघर कर दिया। समाज लोगो द्वारा व भाईयो द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी किशोरसिंह ने एक इकरारनामा दिनांक 14/04/2015 को लिखकर दिया और उसमें लिखा कि रहन मुक्त होने पर आगामी 6 माह यानि 14/10/2015 तक रहन मुक्त कर उक्त प्लोट चन्दुसिंह के नाम करवा दुंगा। जिसमे प्रार्थीया साथ रहेगी। विश्वास मे आकर प्रार्थीया ने मृत आश्रित नौकरी के लिये प्रार्थीया के पति के स्थान पर अप्रार्थी किशोरसिंह को नोकरी दिलवा दी। अप्रार्थी एक किशोरसिंह को आई. टी. आई. सोजत में चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी की नोकरी दिलवा दी फिर भी अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीया के भरण पोषण की जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद उसके पति की नौकरी का जो पैसा मिला व पेन्शन के रूपये मिलाकर डेढ़ लाख रूपये अप्रार्थी किशोरसिंह को दिया जो रूपया भी आज दिन तक वापस नहीं दिया है। प्रार्थीया हार्ट की पेसेन्ट है जिसका 2 वर्ष से ईलात चल रहा है जिसका खर्चा अप्रार्थी संख्या दो दलपतसिंह उठा रहा है। अब दलपतसिंह की पुत्री का विवाह करने के कारण दलपतसिंह ने भी खर्चा उठाने मे असमर्थता जताई है। प्रार्थीया के ईलात मे 7–8 हजार रूपये मासिक खर्च आता है। व ईलात हेतु जोधपुर जाना पड़ता है जिससे प्रतिमाह 10 हजार रूपये से अधिक खर्चा होता है। जिससे प्रार्थीया को भरण पोषण हेतु 15 हजार रूपये मासिक की आवश्यकता है तथा प्रार्थीया के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से प्रतिमाह 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रार्थीया के पैसो से खरीदे गये दोनो प्लोट अप्रार्थी एक के कब्जे से मुक्त करवाकर प्रार्थीया को दिलाये।प्रार्थीया अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से

Scanned by CamScanner

भरण–पोषण लेना चाहती है जो प्रार्थीया की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीया को दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3 को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीया का यदि बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं हो तो खाता खुलवा कर प्रति माह प्रत्येक अप्रार्थीगण 33,00/–, 33,00/– व 33,00/– रूपये कुल 9,900/– अक्षरे रूपये नौ हजार नौ सौ रूपयें मासिक बतौर भरण–पोषण के जमा करवावें । बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1,2 व 3 के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली

Rohit
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

यह आदेश आज दिनांक 17–01–2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rohit
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.17 11:26:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: